गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2025) के अवसर पर
माननीय राज्यपाल, बिहार, श्री आरिफ मोहम्मद खां का अभिभाषण
स्थल–गाँधी मैदान, पटना

प्रिय बहनों, भाइयों और बच्चों,

मैं राष्ट्र के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त बिहारवासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।

आज ही के दिन वर्ष 1950 में हमारा देश एक गौरवशाली संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ और संसदीय व्यवस्था पर आधारित शासन की नींव रखी गई।

संविधान के माध्यम से राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई है।

संविधान के द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा लोगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के सिद्धान्त हमारे पथ प्रदर्शक हैं। इन्हीं के सहारे देश के समग्र विकास की परिकल्पनायें पूरी हो रही हैं।

बिहार सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है और सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य में कानून का राज स्थापित है और इसे बनाये रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इसे बेहतर करने के लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गयी है।

सभी आऊट पोस्ट को नये थानों में परिवर्तित कर थानों की संख्या बढ़ाई गई है। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं।

आपातकालीन स्थिति जैसे– अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना आदि से निपटने के लिए इमरजेंसी सेवा डायल '112' संचालित की जा रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अब तक 20 लाख से अधिक लोग आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं।

राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। साम्प्रदायिक तनाव की कोई घटना प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गयी है। पहले राज्य की मिली–जुली आबादी वाले एवं संवेदनशील 8 हजार से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई। बाद में चिन्हित 1 हजार 273 कब्रिस्तानों में से 746 की घेराबंदी पूर्ण हो चुकी है तथा शेष की करायी जा रही है।

वर्ष 2016 से 60 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों की चहारदीवारी भी बनवाई जा रही है।

राज्य में सड़कों एवं पुल–पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे मे पटना पहुँचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में ही पूरा कर लिया गया। अब इसे 5 घंटे करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके लिए बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल–पुलियों तथा आर०ओ०बी० एवं एलिवेटेड सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है।

वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और ईलाज की पूरी व्यवस्था की गयी है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हर महीने औसतन 11 हजार से अधिक मरीज आते हैं।

पहले केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 12 हो गयी है। इसके अतिरिक्त 14 नये मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं, जिसके उपरांत इनकी कुल संख्या 26 हो जायेगी। इनमें से 8 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में केन्द्र का सहयोग मिला है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जायेगा।

पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5 हजार 400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को ढ़ाई हजार बेड का किया जा रहा है।

सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है और महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण से इसकी शुरूआत की गयी।

वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में पुलिस में महिलाओं की संख्या 30 हजार से अधिक है और इस प्रकार पुलिस में उनकी भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है।

वर्ष 2016 से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जिसे ''जीविका'' नाम दिया गया। बिहार में जीविका के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख 61 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और इनसे 1 करोड़ 31 लाख से अधिक जीविका दीदियाँ जुड़ चुकी हैं, जिनमें से अधिकांश महिलायें गरीब परिवारों की हैं।

अभी तक जीविका का काम सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा था, परंतु अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन तेजी से किया जा रहा है। अब तक शहरी क्षेत्रों में 26 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है तथा इनसे 3 लाख 20 हजार जीविका दीदियाँ जुड़ी हुई हैं।

राज्य सरकार द्वारा शुरू से शिक्षा पर जोर दिया गया है। पहले विद्यालयों व शिक्षकों की संख्या कम थी और पढ़ाई भी कम होती थी। इसलिए बड़ी संख्या में नये विद्यालय खोले गए और उनकी आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया तथा स्थानीय निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की बहाली की गयी।

वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गयी, जिससे बिहार का शिक्षक–छात्र का अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुँच गया है।

राज्य में स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित शिक्षकों को परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है।

वर्ष 2015 में सात निश्चय के तहत लिये गये निर्णय के अनुरूप हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम वर्ष 2020 में ही पूरा कर लिया गया है। नये आवासों तथा छूटे हुए घरों में ये कार्य मार्च, 2025 तक पूरा कर लिये जायेंगे।

वर्ष 2020 में सात निश्चय–2 के अंतर्गत घोषणा की गयी थी कि आने वाले वर्षों में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जायेगी एवं 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे। इसके तहत अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 10 लाख के विरूद्ध 24 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है।

नौकरियों के लिए शेष पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है और इस वर्ष तक 10 लाख के बजाए 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी।

रोजगार देने का काम लगातार जारी है और इस वर्ष में 34 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा।

सरकार के सात निश्चय–2 के तहत 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' अन्तर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने का काम शुरू कर दिया गया है और इनमें से कई योजनायें पूरी हो चुकी हैं।

साथ ही ''स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव'' अन्तर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 4 लाख 58 हजार 609 सोलर स्ट्रीट लाईट लगायी गयी है। कई वार्डों में यह काम पूरा हो गया है और इस वर्ष तक शेष सभी वार्डों में इसे जल्द ही पूरा करा लिया जायेगा।

सात निश्चय–2 के तहत टेलीमेडिसिन योजना शुरू की गयी है जिसमें लोग घर से ही डॉक्टर से परामर्श प्राप्त कर रहे हैं। बाल हृदय योजना के तहत वर्ष 2021 से हृदय में छेद से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क इलाज कराया जा रहा है और इसके तहत अब तक 1 हजार 711 बच्चे लाभांवित हुए हैं।

वर्ष 2008 से ही राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिससे फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है।

वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें कृषि प्रक्षेत्र के समग्र विकास हेतु लगभग 1 लाख 62 हजार 268 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है।

बिहार में उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और नये–नये उद्योग लग रहे हैं। राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में 'बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024' का आयोजन किया गया, जिसमें 1 लाख 80 हजार करोड़ रूपये से अधिक के औद्योगिक निवेश के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। इससे बिहार में उद्योगों को और बढ़ावा मिलेगा तथा युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे।

राज्य के हर क्षेत्र में विकास के काम कराये गये हैं। सरकार द्वारा प्रगति यात्रा के माध्यम से जिलों के विकास की समीक्षा कर कमियों और आवश्यकताओं का आकलन किया जा रहा है तथा इन्हें पूरा करने के लिए नयी योजनाओं की स्वीकृति दी जा रही है।

राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा तबकों के विकास के लिये प्रतिबद्ध है और सामाजिक शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से अन्तिम व्यक्ति को ऊपर उठाना शासन की प्रथमिकता रही है। सरकार इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये पूरी निष्ठा तथा लगन से कार्य कर रही है।

सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का वातावरण कायम रहे। हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे।

आइये, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि बिहार को विकसित एवं खुशहाल राज्य बनाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार फिर मैं आप सबको अपनी बधाई और शुभकामनायें देता हूँ।

लोकाः समस्ता, सुखिनो भवन्तु ।

धन्यवाद।

जय बिहार !

जय हिन्द!

***